एडीडब्ल्यूआरएस- 2008 की कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा – निवारक कार्रवाई – सूचना देने का मासिक फार्मेट

बैंक का नाम :		मामलों की संख्या और राशि रूपयों में जो वास्तविक रूप में अर्थात् पूर्णांकित किए बिना दी जानी है।								
श्रेणी	मामलों की संख्या	निहित राशि	वसूल की गयी राशि	यदि वसूली न की गई तो उसके कारण	क्या दायित्व निर्धारित किया गया	क्या कार्रवाई की गई	यदि कार्रवाई न की गई हो तो उसके कारण	क्या अपराधिता पायी गई	क्या एफआईआर दर्ज किया गया, यदि हां तो एफआइआर सं.	यदि एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, तो उसके कारण
(1) ऐसे किसानों की संख्या जो हालांकि उक्त योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाने के पात्र थें, फिर भी संस्थाओं द्वारा लाभार्थियों की सूची बनाते समय उन्हें अस्वीकृत किया गया।										
(2) उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे लाभार्थी / लाभ प्रदत्त व्यक्तियों की संख्या, जो मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं थे। कथित प्रयोजन या तो अपात्र था अथवा दावे पात्र अवधि के लिए नहीं थे।										

(3) योजना के अंतर्गत संस्थाओं को की गई ऐसी प्रतिपूर्ति जो योजना के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार सीधे लाभार्थी की बजाए माइक्रो वित्त संस्थाओं को दी गई है।										
(4) योजना के अंतर्गत अपेक्षित प्रकार से आवश्यक प्रलेख पर्याप्त रूप से नहीं रखे गए थे। ऐसे मामलों की संख्या जहां रिकार्डों में हेराफेरी, उपरिलेखन (ओवरराइटिंग) ओर काटाकूटी की गई है।										
(5) लाभार्थियों को दिशानिर्देशों के अनुसरण में लाभ प्रदान नहीं किए गए थे। योजना के या तो अनुचित लाभ प्रदान किए गए अथवा लाभार्थियों को उन्हें देय उचित राशि से वंचित रखा गया।										
(6) योजना के अंतर्गत नामे डाले गए/दावा किए गए प्रभार/ब्याज दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थे अथवा वे वहन नहीं किए गए थे।										

(7) शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में दावों की प्रतिपूर्ति की गई थी, हालांकि लाभार्थियों के खातों की संख्या के अनुसार रिकार्ड पर बुनियादी बैक-अप सामग्री नहीं थी।										
(8) जारी न किए गए ऋण माफी/ राहत प्रमाणपत्र										
(9) ऐसे मामले जहां प्रमाणपत्रों को और उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा दिया गया डाटा को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए										